

**एम.ए. (जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़)**

**द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रमों के लिए पुनः-पंजीकृत विद्यार्थियों हेतु असाइनमेंट**

**MGSE-001: जेंडर प्लानिंग और विकास नीतियाँ**

**MGSE-002: जेंडर ऑडिट और जेंडर बजटिंग**

**MGSE-003: जेंडर मेनस्ट्रीमिंग**

**MGSE-004: कृषि, ग्रामीण आजीविका और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जेंडर संबंधी मुद्दे**

**MGSE-006: संसाधनों और हकदारियों में जेंडर संबंधी मुद्दे**

**MGSE-007: जेंडर, संगठन और नेतृत्व**

**MGSE-009: कार्य, रोजगार और उत्पादकता में जेंडर संबंधी मुद्दे**

**MGSE-010: जेंडर और उद्यमिता विकास**

**MGSE-013: जेंडर प्रशिक्षण और सशक्तिकरण**

**MGSE-020: जेंडर और वित्तीय समावेशन**

**MGSE-004: कृषि, ग्रामीण आजीविका और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जेंडर संबंधी मुद्दे  
ट्यूटर मार्कड असाइनमेंट (TMA-01)**

**प्रोग्राम कोड: MAGD**

**कोर्स कोड: MGSE-004**

**असाइनमेंट कोड: MGSE-004/AST/2026-27**

**अधिकतम अंक: 100**

**नोट: सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड A के प्रत्येक प्रश्न के 20 अंक हैं (प्रत्येक का उत्तर लगभग 700 शब्दों में दिया जाना है), जबकि खंड B के प्रत्येक प्रश्न के 12 अंक हैं (प्रत्येक का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दिया जाना है)।**

**खंड-A**

1. भारत के व्यापक आर्थिक आँकड़ों और केस स्टडीज़ की सहायता से कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिकाओं और गतिविधियों का वर्णन कीजिए।
2. भारत में महिलाओं के लिए पशुधन विकास में BAIF की भूमिका को विस्तार से समझाइए।

**खंड-B**

3. उपयुक्त केस स्टडीज़ की सहायता से ग्रामीण भारत में महिलाओं द्वारा साझा संपत्ति संसाधनों तक पहुँच और उनके नियंत्रण के लैंगिक प्रभावों का परीक्षण कीजिए। पशुधन प्रबंधन में महिलाओं की भूमिकाओं और गतिविधियों की चर्चा कीजिए।
4. विभिन्न देशों में मत्स्य क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका की केस स्टडीज़ के माध्यम से विस्तार से चर्चा कीजिए।
5. संसाधनों और संस्थाओं तक 'पहुँच एवं नियंत्रण' को परिभाषित कीजिए। उपयुक्त उदाहरण देते हुए महिलाओं के संसाधनों तक पहुँच और नियंत्रण से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण कीजिए।
6. 20वीं सदी के भारत में महिलाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों का ऐतिहासिक विश्लेषण कीजिए।
7. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए:
  - (i) महिलाएँ और कृषि-जैव विविधता,
  - (ii) हरा चारा खिलाना,
  - (iii) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956,
  - (iv) कृषि और संबद्ध गतिविधियों में जेंडर मेनस्ट्रीमिंग।